

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
34/2025

दायर दिनांक  
24.03.2025

निर्णय दिनांक  
13.05.2025

अनवान

1. वेणा पुत्र हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र नाथुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
2. पन्नालाल पुत्र नाथुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. लेहरूलाल पुत्र रूपा जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. उदयराम पुत्र हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. शंकरलाल पुत्र रोडा जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. गोपीलाल पुत्र रूपा जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. मदनलाल पुत्र गोपीलाल जाति लौहार आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. बंशीलाल पुत्र दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. नन्दु पुत्री मोडा पत्नी टोलू जाति जाट आयु वयस्क निवासी जीतिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. रतनी पुत्री रूपा पत्नी सीताराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा हाल नेतावल महाराज तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
11. लेहरी बाई पत्नी माधुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. शंकरी पुत्री रूपा पत्नी शंकरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा हाल सरोपा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. सीमा पुत्री माधु जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. सोसर पत्नी रूपा जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
15. नारायणलाल पिता माधुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।



अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पंवार  
एक तरफा

अप्रार्थीगण

प्रार्थी  
अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़  
Page | 1

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 106 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 27 रकबा 0.45 हैक्ट0, आराजी संख्या 62 रकबा 0.40 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 140 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 587 रकबा 2.34 हैक्ट0, आराजी संख्या 588 रकबा 0.05 हैक्ट0, आराजी संख्या 589 रकबा 0.75 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.14 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के सहखातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 2 से 9 व 11 से 15 के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अप्रार्थी संख्या 1 व 10 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजीयात जैरबहस के खातेदार काशतकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काशतकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 106 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 27 रकबा 0.45 हैक्ट0, आराजी संख्या 62 रकबा 0.40 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 140 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 587 रकबा 2.34 हैक्ट0, आराजी संख्या 588 रकबा 0.05 हैक्ट0, आराजी संख्या 589 रकबा 0.75 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.14 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 पाण्डोली को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन  
जिला-चित्तौडगढ